क्रम-संख्या—135

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 13 अगस्त, 2024

श्रावण 22, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 340 / 79-वि-1—2024-1-क-16-2024

लखनऊ, 13 अगस्त, 2024

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग—1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 12 अगस्त, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2024)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) यह दिनांक 19 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन

2—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है, में, धारा 4 की उप धारा (1—क) में,—

''(क) खण्ड (ञ) में शब्द, और प्रतीक ''महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़'' के स्थान पर शब्द और प्रतीक ''महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़'' रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ट) में शब्द और प्रतीक ''राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़'' के स्थान पर शब्द और प्रतीक ''राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़'' रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ठ) में शब्द और प्रतीक ''माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर'' के स्थान पर शब्द और प्रतीक ''माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर'' रख दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (ड) में शब्द और प्रतीक ''माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर'' के स्थान पर शब्द और प्रतीक ''माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर'' रख दिये जायेंगे;

(ङ) खण्ड (ढ़) में शब्द और प्रतीक ''उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद'' के स्थान पर शब्द और प्रतीक ''गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद'' रख दिये जायेंगे।''

धारा 50 का संशोधन

3—(1) मूल अधिनियम की धारा 50 में,—

''(क) उप धारा (1—छ) में, शब्द और प्रतीक ''महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़'' के स्थान पर शब्द और प्रतीक ''महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उप धारा (1—ज) में, शब्द और प्रतीक ''राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़'' के स्थान पर शब्द और प्रतीक ''राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़'' रख दिये जायेंगे;

(ग) उप धारा (1—झ) में, शब्द और प्रतीक ''माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर'' के स्थान पर शब्द और प्रतीक ''माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर'' रख दिये जायेंगे;

(घ) उप धारा (1—ञ) में, शब्द और प्रतीक ''माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर'' के स्थान पर शब्द और प्रतीक ''माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर'' रख दिये जायेंगे;

(ङ) उप धारा (1—ट) में, शब्द और प्रतीक ''उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद'' के स्थान पर शब्द और प्रतीक ''गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद'' रख दिये जायेंगे।''

धारा 52 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 52 में, —

(क) उप धारा (2—च) में, शब्द और प्रतीक ''महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़'' के स्थान पर शब्द और प्रतीक ''महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उप धारा (2—छ) में, शब्द और प्रतीक ''राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़'' के स्थान पर शब्द और प्रतीक ''राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़'' रख दिये जायेंगे;

(ग) उप धारा (2—ज) में, शब्द और प्रतीक ''माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर'' के स्थान पर शब्द और प्रतीक ''माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर'' रख दिये जायेंगे;

(घ) उप धारा (2—झ) में, शब्द और प्रतीक ''माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर'' के स्थान पर शब्द और प्रतीक ''माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर'' रख दिये जायेंगे;

(ङ) उप धारा (2—ञ) में, शब्द और प्रतीक ''उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद'' के स्थान पर शब्द और प्रतीक ''गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद'' रख दिये जायेंगे।

अनुसूची का संशोधन

5–मूल अधिनियम की अनुसूची में, शब्द और प्रतीक ''महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़'' के स्थान पर शब्द और प्रतीक ''महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़'', शब्द और प्रतीक ''राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़'' के स्थान पर शब्द और प्रतीक ''राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़'', शब्द और प्रतीक ''माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर'' के स्थान पर शब्द और प्रतीक ''माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर'', शब्द और प्रतीक ''माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर'' के स्थान पर शब्द और प्रतीक ''माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर'' और शब्द और प्रतीक ''उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद'' के स्थान पर शब्द और प्रतीक ''गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद'' रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2024

6–(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

——————

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में कतिपय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित विधियों को संशोधित और समेकित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) अधिनियमित किया गया है।

गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक मण्डल में एक राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया हैं। इस लक्ष्य के अनुसरण में देवीपाटन मण्डल, विन्ध्याचल मण्डल एवं मुरादाबाद मण्डल में एक–एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जा चुका है। जिला मुरादाबाद में गुरू जम्भेश्वर जी का प्राचीन मन्दिर स्थित है तथा गुरू जम्भेश्वर जी के प्रति जनसामान्य की अटूट श्रद्धा है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत मुरादाबाद जिला में स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद का नाम गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय किए जाने तथा इसी प्रकार महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़, माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर, माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर एवं राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ का नाम क्रमशः महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़, माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर एवं राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ करने हेतु पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 340(2)/LXXIX-V-1–2024-1-ka-16-2024

Dated Lucknow, August 13, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalay (Sanshodhan) Adhiniyam, 2024 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 2024) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 12, 2024. The Uccha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2024

(U.P. ACT No. 10 Of 2024)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 19th day of July, 2024.

Amendment of section 4 of President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974

2. (1) In the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 *hereinafter* referred to as the "principal Act", in sub-section (1-A) of section 4,-

"(a) In clause (j), for the words and symbol "Maharaja Suhel Dev State University, Azamgarh", the words and symbol "Maharaja Suhel Dev University, Azamgarh" shall be *substituted*.

(b) In clause (k), for the words and symbol "Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh", the words and symbol "Raja Mahendra Pratap Singh University, Aligarh" shall be *substituted*.

(c) In clause (l), for the words and symbol "Maa Pateshwari Devi State University, Balrampur", the words and symbol "Maa Pateshwari University, Balrampur" shall be *substituted*.

(d) In clause (m), for the words and symbol "Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur", the words and symbol "Maa Vindhyavasini University, Mirzapur" shall be *substituted*.

(e) In clause (n), for the words and symbol "Uttar Pradesh State University, Moradabad", the words and symbol "Guru Jambheswar University, Moradabad" shall be *substituted*."

Amendment of Section 50

3. (1) In section 50 of the principal Act,-

"(a) In sub-section (1-G), for the words and symbol "Maharaja Suhel Dev State University, Azamgarh", the words and symbol "Maharaja Suhel Dev University, Azamgarh" shall be *substituted*.

(b) In sub-section (1-H), for the words and symbol "Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh", the words and symbol "Raja Mahendra Pratap Singh University, Aligarh" shall be *substituted*.

(c) In sub-section (1-I), for the words and symbol "Maa Pateshwari Devi State University, Balrampur", the words and symbol "Maa Pateshwari University, Balrampur" shall be *substituted*.

(d) In sub-section (1-J), for the words and symbol "Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur", the words and symbol "Maa Vindhyavasini University, Mirzapur" shall be *substituted*.

(e) In sub-section (1-K), for the words and symbol "Uttar Pradesh State University, Moradabad", the words and symbol "Guru Jambheswar University, Moradabad" shall be *substituted*."

4. (1) In section 52 of the principal Act,- Amendment of Section 52

"(a) In sub-section (2-F), for the words and symbol "Maharaja Suhel Dev State University, Azamgarh", the words and symbol "Maharaja Suhel Dev University, Azamgarh" shall be *substituted*.

(b) In sub-section (2-G), for the words and symbol "Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh", the words and symbol "Raja Mahendra Pratap Singh University, Aligarh" shall be *substituted*.

(c) In sub-section (2-H), for the words and symbol "Maa Pateshwari Devi State University, Balrampur", the words and symbol "Maa Pateshwari University, Balrampur" shall be *substituted*.

(d) In sub-section (2-I), for the words and symbol "Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur", the words and symbol "Maa Vindhyavasini University, Mirzapur" shall be *substituted*.

(e) In sub-section (2-J), for the words and symbol "Uttar Pradesh State University, Moradabad", the words and symbol "Guru Jambheswar University, Moradabad" shall be *substituted*."

Amendment of Schedule

5. In the Schedule to the principal Act, for the words and symbol, "Maharaja Suhel Dev State University, Azamgarh", the words and symbol "Maharaja Suhel Dev University, Azamgarh", "Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh", the words and symbol "Raja Mahendra Pratap Singh University, Aligarh", "Maa Pateshwari Devi State University, Balrampur", the words and symbol "Maa Pateshwari University, Balrampur", "Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur", the words and symbol "Maa Vindhyavasini University, Mirzapur" and "Uttar Pradesh State University, Moradabad", the words and symbol "Guru Jambheshwar University, Moradabad" shall be *substituted*.

Repeal and saving

U.P.Ordinance no. 12 of 2024

6. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2024 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

———

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (President's Act no. 10 of 1973) has been enacted to amend and consolidate the laws related to certain universities in Uttar Pradesh.

To provide quality higher education, the Uttar Pradesh Government has set the goal of establishing a State University in each division. In pursuit of this goal, one University each has been established in Devipatan Division, Vindhyachal Division and Moradabad Division. An ancient Temple of Guru Jambheshwar Ji is located in Moradabad district and the general public has unwavering faith in Guru Jambheshwar Ji In view of the above, it was decided to amend the aforesaid Act to rename the Uttar Pradesh State University, Moradabad, established in Moradabad district as Guru Jambheshwar University

and similarly to rename Maharaja Suheldev State University, Azamgarh, Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur, Maa Pateshwari State University, Balrampur and Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh as Maharaja Suheldev University, Azamgarh, Maa Vindhyavasini University, Mirzapur, Maa Pateshwari University, Balrampur and Raja Mahendra Pratap Singh University, Aligarh respectively.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was required to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2024 (U.P. Ordinance no. 12 of 2024) was promulgated by the Governor on 19-07-2024.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

ATUL SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 198 राजपत्र–2024–(558)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 78 सा0 विधायी–2024–(559)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

198_RPH_2024_(State University)-2024 Data-7E